राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्वाधीन)

रा.आ. बैंक सुवृद्धि (कर बचत)

सावधि जमा योजना

योजना के पंजीयक:
आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लि.
बी-25/1, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेज - 2, नई दिल्ली -110 020
Email nhbfd@rcmcdelhi.com, nhbfd@rcmcdelhi.com
फोन: 011-26387320, 26387321, 26387323
फैक्स: 011 -26387323

प्राप्तकर्ता बैंक:
आईडीबीआई बैंक लि.
सीएमएस – विभाग
नोडल शाखा :
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्डिंग
1 रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली – 110001
(समाहरण शाखाओं की सूची आवेदन प्रपत्र में दी गई है)

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

उद्देश्य

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई:-

क. एक ठोस, स्वस्थ, व्यवहार्य तथा लागत प्रभावी आवास वित्त व्यवस्था को बढा़वा देना जो जनसंख्या के सभी वर्गों को सेवाएं दे और समग्र वित्तीय प्रणालियों के साथ आवास वित्त प्रणाली को संघटित करें।

ख. विविध क्षेत्रों तथा विभिन्न आय समूहों की समुचित सेवा हेतु आवास वित्त संस्थानों को सपर्पित एक नेटवर्क को प्रोत्साहित करना।

ग. इस सैक्टर के लिए संसाधनों को बढ़ाना तथा उन्हें आवास के लिए चैनलबद्ध करना।

घ. आवास ऋण को और अधिक किफायती बनाना।

ड. अधिनियम के अंतर्गत संचालित विनियमन एवं पर्यवेक्षण प्राधिकरण पर आधारित आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।

च. भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के संवर्धन को प्रोत्साहित करना और इसके साथ ही आवास के लिए भवन निर्माण सामग्री को बढा़वा देना तथा देश में आवास सूचकांक को प्रोन्नत करना।

छ. सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना ताकि वे आवास के लिये उपलब्ध भूमि के आपूर्तिकर्ता एवं सुविधादाता के रूप में उभरें।

विज़न

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त संस्थानों के प्रभावी विनियमन एवं पर्यवेक्षण द्वारा भारत में सशक्त एवं स्वस्थ आवास प्रणाली का कार्यान्यवयन सुनिश्चित करता है। वित्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी प्रतिबद्धता में नए परिवर्तन एवं सेवा की गुणवत्ता और मैत्रीपूर्ण एवं सहज वातावरण में कार्यरत अधिकारीगणों के साथ आवास क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति के लिए भी जाना जाता है।

जब लोग आवास से संबंधित वित्तीय सेवाओं के बारे में विचार करते हैं तो उनके मन में राष्ट्रीय आवास बैंक का नाम उभरता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

<u>बैंक के कार्यालय</u>

मुख्यालय:	क्षेत्रीय कार्यालय:
राष्ट्रीय आवास बैंक कोर: 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र, तृतीय – पांचवा तल, लोधी मार्ग, **नई दिल्ली-110003** फोन: +91-11-24649031-35 फैक्स: +91-11-24646988, 24649041	**राष्ट्रीय आवास बैंक** मुम्बई लाइफ बिल्डिंग, 45, वीर नरीमन मार्ग, फोर्ट, **मुम्बई- 400 023** फोन: +91-22-22851560-64 फैक्स: +91-22-22851555

बैंक के क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय

अहमदाबाद	बैंगलुरू	भोपाल
मेजानाइन मंजिल, जी-7 साकार-1 गांधीग्राम स्टेशन के सामने, आश्रम मार्ग, **अहमदाबाद-380009** फोन : +91-79-40068535	राष्ट्रीय आवास बैंक बैंगलुरू प्रतिनिधि कार्यालय, प्रथम तल, जीवन सुधा (एलआईसी) बिल्डिंग, 24वां मेन, जे.पी. नगर पहला फेस, बैंगलुरू- 560 078	प्रशिक्षण कक्ष के निकट भारतीय रिजर्व बैंक होशंगाबाद रोड, पोस्ट बोक्स नं.32, **भोपाल- 462 011** फोन:0755-2559564
चैन्नई	**हैदराबाद**	**कोलकाता**
एम.टी.बी. बिल्डिंग (नार्थ विंग), भू-तल, 485, अन्नासलाई, नंदनम, **चैन्नई-600 035** फोन: +91-44-24320761	चतुर्थ तल, एपीएसएचसीएल बिल्डिंग, स्ट्रीट नं. 17, हिमायत नगर, **हैदराबाद- 500 029** फोन: +91-040-23264079	हिन्दुस्तान बिल्डिंग, पहला तल, 4 सी.आर. एवेन्यू, **कोलकाता- 700 072**
लखनऊ	**पटना**	**भुवनेश्वर**
तृतीय तल, एनई विंग, ए-ब्लॉक, विभूति खंड, पिकअप भवन, गोमती नगर, **लखनऊ-226 010** फोन: +91-522-4025169	भारतीय रिजर्व बैंक, द्वितीय तल, साउथ गांधी मैदान, **पटना – 800001** फोन: +91-612-2323989	भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा तल, पं. जवाहर लाल नेहरू मार्ग, **भुवनेश्वर - 765001**
नागपुर		
भारतीय रिजर्व बैंक, एनेक्स बिल्डिंग, तीसरा तल, डा0 राघवेन्द्र राव रोड, सिविल लाइन **नागपुर-440001** फोन: +91-712-2806324		

वेबसाइट: nhb.org.in **ईमेल - fd@nhb.org.in**

क्रिसिल रेटिंग, एफएएए*
फिच रेटिंग टीएएए*
***यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा, समय पर ब्याज एवं पूंजी के भुगतान का संकेतक है।**

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्वाधीन)

एनएचबी सुवृद्धि (कर बचत)

सावधि जमा योजना

विषय सूची:

प्रोफाइल

सामान्य निर्देश

अनुबंध – I

अनुबंध – II

आवेदन प्रपत्र

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रोफाइल

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापन 09 जुलाई, 1988 को संसद के एक अधिनियम यथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत आवास वित्त संस्थानों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य प्रकार के समर्थन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रधान संस्था (एजेंसी) के रूप मे हुई थी। अधिनियम राष्ट्रीय आवास बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ निम्न हेतु अधिकार प्रदान करता है:-

- आवास वित्त संस्थानों हेतु उनकी ठोस दिशा पर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विनिर्देश जारी करना,
- आवास क्रियाकलापों हेतु अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त संस्थानों, राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्थान को ऋण और अग्रिम के रूप में या किसी भी रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- आवास या आवासीय टाउनशिप व आवास विकास या स्लम सफाई हेतु ऋण और अग्रिम देना,
- संसाधनों के संग्रहण तथा आवास के लिए ऋण के विस्तारण हेतु योजनाएं तैयार करना,
- राष्ट्रीय आवास बैंक के निष्पादन हेतु तीन प्रमुख भूमिकाएं हैं:-
  - आवास वित्त कंपनियों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना
  - आवास वित्त बाजार का विकास एवं प्रोत्साहन देना
  - आवास के लिए वित्तीय सहायता मुख्यत: बैंकों, आवास वित्त कंपनियों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थों, सार्वजनिक एजेंसियों आदि को उपलब्ध कराना।

वित्तीय विशिष्टताएं (राशि करोड़ रूपए में)

30 जून को समाप्त वर्ष हेतु	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
पूंजी	450	450	450	450	450
आरक्षितियां	1549	1792	2072	2352	2739
निवल स्वाधिकृत निधियां	1999	2230	2485	2770	3153
संवितरण	9036	10889	8160	12035	14454
कुल आस्तियां	19897	19927	22732	25781	31332
सकल एनपीए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4
निवल एनपीए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3
कर के बाद लाभ	170	236	280	279	387
सीआरएआर (%)	24	18	20	21	20

कुछ उपलब्धियां

1988-90 ❖ आवास ऋणों हेतु पुनर्वित्त योजना ❖ भूमि विकास एवं आश्रय परियोजनाओं हेतु योजनाएं ❖ आवास वित्त कंपनियों/भवन निर्माण सामग्री कंपनियों में इक्विटी भागीदारी की योजना ❖ गृह ऋण खाता योजना ❖ आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 1989 ❖ यू.एस.एड सरकार आवास गारंटी कार्यक्रम के तहत 25 मिलियन यूएस डॉलर तक (पहला अंश) ऋण लिया।
1990-95 ❖ सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित ❖ ओईसीएफ (अब जेबीआईसी) से 2,970 बिलियन येन की ऋण सहायता प्राप्त की ❖ आवास संबंधी बुनियादी ढांचे को वित्तपोषण की योजना ❖ स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्त योजनाएं ❖ अ-प्रतिभूति बांड जारी करना ❖ आवास वित्त कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों हेतु दिशा-निर्देश
1996-2000 ❖ स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना ❖ स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के वित्त पोषण हेतु कर मुक्त बांड जारी किये ❖ एडीबी से 1997-98 में 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 1998-99 में 30 मिलियन अमरीकी डालर की राशि आहरित
2000-05 ❖ देश में प्रथम आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण इश्यू करना ❖ बीमा व्यवसाय में आवास वित्त कंपनियों के प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश ❖ आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी बांडों की ऋण वृद्धि ❖ आवास ऋणों हेतु उदारीकृत पुनर्वित्त योजना ❖ माइक्रो वित्त संस्थानों को ऋण देने के नए उपाय
2005-2010 ❖ आवास ऋणों के बारे में हुए धोखाधड़ी संबंधी सूचना के विश्लेषण हेतु धोखाधड़ी प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना ❖ एन.एच.बी रेजीडैक्स का शुभारंभ (पहला सरकारी आवासीय मूल्य सूचकांक) ❖ वरिष्ठ नागरिकों हेतु रिवर्स मॉर्टगेज ऋण ❖ इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों हेतु टॉपअप ऋण हेतु पुनर्वित्त ❖ नई ग्रामीण आवास वित्त कंपनियों में इक्विटी भागीदारी ❖ ग्रामीण आवास माइक्रोफाइनेंस की शुरूआत ❖ गरीब समर्थक आवास वित्त पर एनएचबी- यूनेसकैप अध्ययन: 7 एशियाई देशों द्वारा प्रारंभ ❖ गृह ऋण परामर्श: डिप्लोमा कार्यक्रम (IIBF) प्रारंभ

- ❖ ग्रामीण आवास निधि 2,000 करोड़ रू. की आबंटित राशि से बनाई गई
- ❖ शहरी गरीबों के आवास के लिये भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया
- ❖ ऊर्जा सक्षम आवास विकसित करने तथा वित्त पोषण की संभावाव्यता के बारे में केएफडब्ल्यू के साथ संयुक्त अध्ययन की शुरूआत की
- ❖ रा.आ. बैंक ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की मॉस आवास परियोजना को गरीबी के लिए निम्न आय आवास उपलब्ध देने के लिए सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के द्वारा वित्त पोषण किया।

2010–2011

- ❖ ग्रामीण आवास में इसके हस्ताक्षेप के लिए स्कॉच वित्तीय समावेशन पुरस्कार 2011
- ❖ वर्ष 2011 हेतु गरीबी उन्मूलन प्रेरित - विकास वित्त हेतु एडीएफआईएपी पुरस्कार
- ❖ ऊर्जा दक्ष आवास के संवर्धन हेतु केएफडब्ल्यू, जर्मनी से सहयोग

2011-2013

- ❖ पाँच नए नगरों को समाविष्ट करने के लिए जनवरी 2013 से रा.आ.बैंक – रैजीडेक्स का विस्तार किया गया, नगरों की कुल संख्या 20
- ❖ निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) की स्थापना की गई
- ❖ भारत में ऊर्जा दक्ष नए रिहायशी आवासों में परियोजना हेतु स्कॉच वित्तीय समावेशन पुरस्कार 2012
- ❖ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एसोसिएशन ऑफ डिवलपमेंट फाइसेंसिंग इंस्टीटयूशन्स (एडीएफआईएपी) से वर्ष 2012 हेतु रा.आ.बैंक को दिया गया ऊर्जा दक्ष आवास हेतु योग्यता का प्रमाण पत्र
- ❖ आईपीई बीएफएसआई पुरस्कार 2012 में रा.आ.बैंक को ''बेस्ट इम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड'' दिया गया
- ❖ आवासों में सौर जल तापक एवं प्रकाश उपकरण को बढ़ावा देने पर रा.आ.बैंक के कार्यक्रम को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एसोसिएशन ऑफ डिवलपमेंट फाइसेंसिंग इंस्टीटयूशन्स (एडीएफआईएपी) पुरस्कार 2013 में पर्यावरण विकास : श्रेणी के तहत एक विशेष योग्यता फलक (प्लेक) प्रदान किया गया

ध्यानाकर्षण क्षेत्र

- उद्देश्य: आवास क्षेत्र में वित्तीय समावेशन
- आवास की कमी को दूर करने के लिए आवास वित्त प्रणाली को विकसित एवं विस्तारित करना
- अल्पसेवितों एवं असेवितों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्धता की ओर विशेष ध्यान देना
    - ➢ बाज़ार विकास
    - ➢ ग्रामीण आवास
    - ➢ शहरी नवीनीकरण
    - ➢ क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

एनएचबी सुवृद्धि (कर बचत) जमा योजना, 2008

राष्ट्रीय आवास बैंक ने जनता और हिन्दू अविभाजित परिवारों से धन जुटाने के लिए एक योजना तैयार की है। यह योजना भारत के राजपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 2008 में अधिसूचित की गई है। योजना की अधिसूचित प्रतिलिपि अनुलग्नक I में संलग्न की गई है।

केन्द्र सरकार ने इस योजना को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी से प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया है, इस संबंध में अधिसूचना सं. एस.ओ.(ई) दिनांक 5 जनवरी, 2009 देखें। अधिसूचना की प्रतिलिपि अनुलग्नक II में संलग्न की गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक सावधि जमा योजना के तहत जमा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 18 अक्तूबर, 2008 के अधिसूचना में उल्लिखित नियम एवं शर्तों और सामान्य निर्देशों के अनुसार स्वीकार किये जाएंगे।

सामान्य निर्देश

1. निर्दिष्ट फार्म पर आवेदन पत्र स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए। पूर्वाक्षर जैस श्री/श्रीमती को पुन: नाम लिखते समय नहीं दोहराया जाए। नाम के दो या अधिक हिस्सों जैसे हरेन्द्र कुमार सिंह, के बीच खाली स्थान छोड़ा जाए। जमाकर्ता(ओं) को आवेदन पत्र में दिए फार्म में दिए उचित बाक्स पर टिक लगाना चाहिए। जहां इसका विकल्प जैसे श्री/श्रीमती, दिया गया है जमाकर्ता(ओं) को जो लागू न हो, उसे काट देना चाहिए।

2. जमाकर्ता योजना के तहत उपलब्ध ब्याज के दो विकल्पों में से एक का चयन करके राशि जमा कर सकते हैं किंतु अधिकतम 1 लाख रूपये तक। प्रत्येक विकल्प के तहत जमा करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। जमाकर्ता(ओं) को आवेदन पत्र में चयनित विकल्प को सुस्पष्ट चिन्हित करना चाहिए। यदि किसी विकल्प का चयन नहीं किया गया है तो उस जमा को सकेकित ब्याज विकल्प के तहत माना जाएगा।

3. हिंदू संयुक्त परिवार के मामले में, कर्ता का नाम जमाकर्ता(ओं) के नाम भरने के लिए दिए स्थान पर भरा जाए। हिंदू संयुक्त परिवार का नाम फार्म में दर्शाए अनुसार अलग-अलग लिखा जाए। आवेदन पत्र पर हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। सभी भुगतान/पूर्व अदायगी और पत्राचार कर्ता को भेजा जाएगा।

4. जमाकर्ता भुगतान निर्देशों में उस व्यक्ति को संबंधित बाक्स में टिक लगाकर स्पष्ट दर्शाएं जिसे (एकल/प्रथम-नाम वाले जमाकर्ता की मृत्यु होने की दशा में) ब्याज और मूलधन का भुगतान किया जाएगा। सभी भुगतान/पूर्व अदायगी और पत्राचार एकल/प्रथम-नाम वाले जमाकर्ता को भेजे जाएंगे।

5. आवेदन फार्म पर अँग्रेज़ी या किसी अन्य भारतीय भाषा में हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि हस्ताक्षर अंगूठा निशान हो तो वह बैंक के प्राधिकृत या मैजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होने चाहिए तथा उसकी मोहर लगी हो।

6. पूरी तरह भरा हुआ आवेदन फार्म और जमा राशि के भुगतान हेत रेखांकित 'आदात के खाते में' देय चेक/मांग ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो 'राष्ट्रीय आवास बैंक – सुवृद्धि (कर बचत) लेखा' के नाम हो, राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी भी कार्यालय/समाहरण केन्द्रों पर जमा करना चाहिए।

प्रत्येक आवेदन फार्म के साथ अलग चेक/मांग ड्राफ्ट/पे-आर्डर संलग्न होना चाहिए। सावधि जमा की अवधि चेक नकदीकरण की तारीख से शुरू होगी।

7. अधूरे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय आवास बैंक उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन को नई जमा के लिए या नवीकरण के लिए बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकता है उस स्थिति में राष्ट्रीय आवास बैंक प्राप्त जमा राशि, ब्याज रहित, एकल/प्रथम नाम वाले जमाकर्ता को लौटा देगा।

8. ब्याज दर:

सावधि जमा पर ब्याज दर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर के अनुसार होगी।

9. आवेदन फार्म की रसीद आवेदन फार्म में नीचे दी गई 'पावती पर्ची' पर राष्ट्रीय आवास बैंक/जमा योजना के व्यवस्थापकों जिन्हें आवेदन फार्म जमा किया जाएगा, द्वारा पावती दी जाएगी। पावती पर्ची एकल/प्रथम नाम वाले जमाकर्ता के नाम बनाई जाएगी जिस पर रा.आ.बैंक/इश्यू प्रबंधकर्ताओं/संग्रहणकर्ता बैंकरों द्वारा तारीख सहित मुहर लगाई जाएगी।

10. ब्याज चैक की राशि वसूल हो जाने की तारीख से उपार्जित होना प्रारम्भ हो जाएगा और जमाराशि परिपक्वता पर समाप्त हो जाएगा। संचयी ब्याज विकल्प में, ब्याज का भुगतान जमाराशि की परिपक्वता पर मूलधन के साथ किया जाएगा। गैर-संचयी ब्याज विकल्प के तहत जमा के मामले में, गैर-संचयी ब्याज विकल्प के तहत जमा के मामले में, ब्याज प्रत्येक वित्त वर्ष (अप्रैल से मार्च) में अप्रैल और अक्तूबर के प्रथम दिन ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला होगा। तथापि, राष्ट्रीय आवास बैंक वारंटों की वसूली में किसी भी विलम्ब की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। ब्याज भुगतान की तारीखों से पूर्व तीन सप्ताहों से कम रखी गई जमाराशि पर ब्याज अगले भुगतान के साथ किया जाएगा और परिपक्वता पर समाप्त हो रही किसी खंडित अवधि के लिए ब्याज जमाराशि की परिपक्वता की तारीख पर मूलधन के साथ देय होगा। ब्याज 365 दिन के वर्ष के आधार पर परिकलित किया जाएगा और बीते दिनों की वास्तविक संख्या त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्धित की जाएगी। आयकर देय ब्याज से स्रोत पर काटा जाएगा, जहाँ कहीं भी लागू होगा, अगर इसकी कटौती पहले नहीं की गयी है। बैंक उत्तरवर्ती कार्यदिवस पर जमाराशि के प्रतिफल के भुगतान की तारीख और जमाराशि की विनिर्दिष्ट अवधि की परिपक्वता की तारीख के बीच पड़ रहे अवकाश/रविवार/गैर-व्यावसायिक दिन के लिए जमाराशि पर मूल रूप से संविदागत दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

11. सावधि जमा रसीद अंतरणीय नहीं है।

12. सावधि जमाराशि की रसीद राष्ट्रीय आवास बैंक/रा.आ.बैंक में अनुमोदित पंजीयक एवं अंतरण अभिकरण द्वारा एकमात्र/प्रथम नामित जमाकर्ता के पते पर अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को राष्ट्रीय आवास बैंक में आवेदन-पत्र प्राप्त होने के चार सप्ताहों के भीतर प्रेषित की जाएगी।

13. अपेक्षित मूल्य के रसीदी टिकट पर एकल/प्रथम नामित जमाकर्ता द्वारा विधिवत् रूप से चुका दी गई सावधि जमा की रसीद पुनर्भुगतान के प्रयोजनार्थ, परिपक्वता की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी भी कार्यालय/पंजीयक में अभ्यर्पित की जाएगी। ब्याज, यदि कोई है, के सहित, जमा की राशि का पुनर्भुगतान ''केवल आदाता के खाते में'' अंकित रेखांकित चैक के जरिए किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक ब्याज और जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के बारे में कोई सूचना नहीं देगा। जब परिपक्वता या ब्याज भुगतान की तारीख किसी ऐसी दिन पड़ती है जब रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय बंद हो, तो भुगतान अगले दिवस को किया जाएगा।

14. यदि किसी भी प्रकार से पते में बदलाव होता है तो मुख्य/प्रथम जमाकर्ता/प्रथम जमाकर्ता को राष्ट्रीय आवास बैंक के मुख्यालय में या फिर उसके अपने स्वीकृत पंजीयक के पास भुगतान तिथि के तीन हफ्ते पहले लिखित में सूचना दी जानी चाहिए ताकि उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

15. कोई भी विवाद या दावा जो जमाओं की स्वीकृति, नवीनीकरण, ब्याज सहित जमा के भुगतान हेतु इस योजना में उभरते हैं, तो वे सभी मामले पूर्णरूपेण नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में निपटाए जाएंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

निदेशक मंडल

श्री आर.वी. वर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डा0 संतोष चंद्रा पांडा निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(बी) के तहत
डा0 नीलिमा रिसबद, डीन ऑफ स्टडी, स्कूल ऑफ प्लेनिंग एण्ड आर्किटेक्चर राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(बी) के तहत
श्री एच.आर. खान उप गर्वनर, भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(डी) के तहत
श्री जी.एम. राव निदेशक, केंद्रीय निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(डी) के तहत
श्री अरविन्द कुमार, आईएएस संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(ई) के तहत
श्रीमती विजया श्रीवास्तव, आईएएस संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(ई) के तहत
श्री एस सिद्धार्थ, आईएएस सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(एफ) के तहत
श्री अजय कुमार दत्ता, सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, आवास विभाग राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(एफ) के तहत